Sch. XIV—F. No. 180V.

रसीद मालगुजारी। | बिल नं० प्रेस, नया। | फरद मालकी/फरद रैयती।

बाम सर्कल। नाम मौजा मय बाना वो बाना नम्बर। | V | नाम रैयत मय वल्दियत जमाबन्दी वो सकूनत। नम्बर।

[illegible] 30	[illegible]	

X|3 2237923

W.P. 4593

बराजी नगदी | बराजी भावली | तफसील हिसाब लगान भावली।

01.45/87	[illegible]	

बोत का सालाना मांग मय तफसील (बकाया वो हाल) मौजूदा साल का।

मांग बाबत 2017-18	सालाना	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	हाल
मालगुजारी (नगदी)	25-10					25-10
मालगुजारी (भावली)	25-10					25-10
सेस ...	25-10					25-10
*सूद ...	25-10					25-10
मुतफरकात ...	25-10					25-10
मीजान	125-10					125-10

तफसील अदायकारी।

अदायकारी बाबत। 2017-18	बकाया: तीन वर्ष से ज्यादा।	३रा वर्ष।	२रा वर्ष।	१ला वर्ष।	मोतावल हाल।	फाजिल
मालगुजारी (नकदी)					25-10	
मालगुजारी (भावली)					25-10	
सेस ...					25-10	
*सूद ...					25-10	
मुतफरकात ...					25-10	
मीजान अदायकारी					125-10	125-10

(१) मीजान कुल (लफ्जों में)— [illegible]

(२) नाम देहिन्दा —

(३) कुल बकाया —

दस्तखत की तारीख अमला तहसील कुनिन्दा

*जास महाल का बकाया मालगुजारी पर [illegible] (जिन पर कि डुप्लिकेट जारी हो) सूद नहीं लिया जाता है।

204	2394
28	204/
496	2,107
	22/2

17-07-17

अनुसूची 21—फार्म सं० 113

1416 1-6-17

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

4275

प्रमाण-पत्र संख्या..... 19..... आवेदन सं०..... 19.....

चूँकि श्री..... रामसेवी सिंह 31-5-17

ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निर्दिष्ट संव्यवहारों और अवधारों का सविवरण प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवधारों के बारे में बही में और उससे सम्बद्ध अनुक्रमणिकों में ता० 2005 19..... से ता०..... तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवधारों का पता चला

चला है अतः विक्रय

क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों के नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	मो ग्रा	तामी	रजा ता	फतेह		A		
	अकबरपुर 30	3084	496	2107		46 Dec 1		

1. दस्तावेज के अनुसार विवरण दर्ज करें।

2. बंधक-पत्र की दिशा ब्याज की दर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। बशर्ते की उनके बारे में उल्लेख हो।

3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।

मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संव्यवहारों और अवभारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किसी अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): Sadhan

(पदनाम): J.D.Z. Abhok

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): Bhandra

(पदनाम):

कार्यालय: दानापुर

तारीख: 9-6-2017

अवर निबंधन कार्यालय

मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर 1-6-17

टिप्पणी:—इस प्रमाण-पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजो में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संव्यवहार (इन्क्रेकशनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेगें।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-५८ के अधीन जो व्यक्ति (बाहयों) और अनुक्रमणियों (इन्डेक्स) की प्रविष्टियां देखना चाहते हों अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हों जिन्हे निर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण-पत्रों की जरुरत हो उन्हे तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास सामने रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद ढूँढे गये संव्यवहारों और अवभारो को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र में दिया है, इसलिए विभाग आवेदक द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारो और अवभारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक दानापुर

ज्ञाप संख्या 1721 दिनांक 1-6-17

आवेदक श्री [illegible]

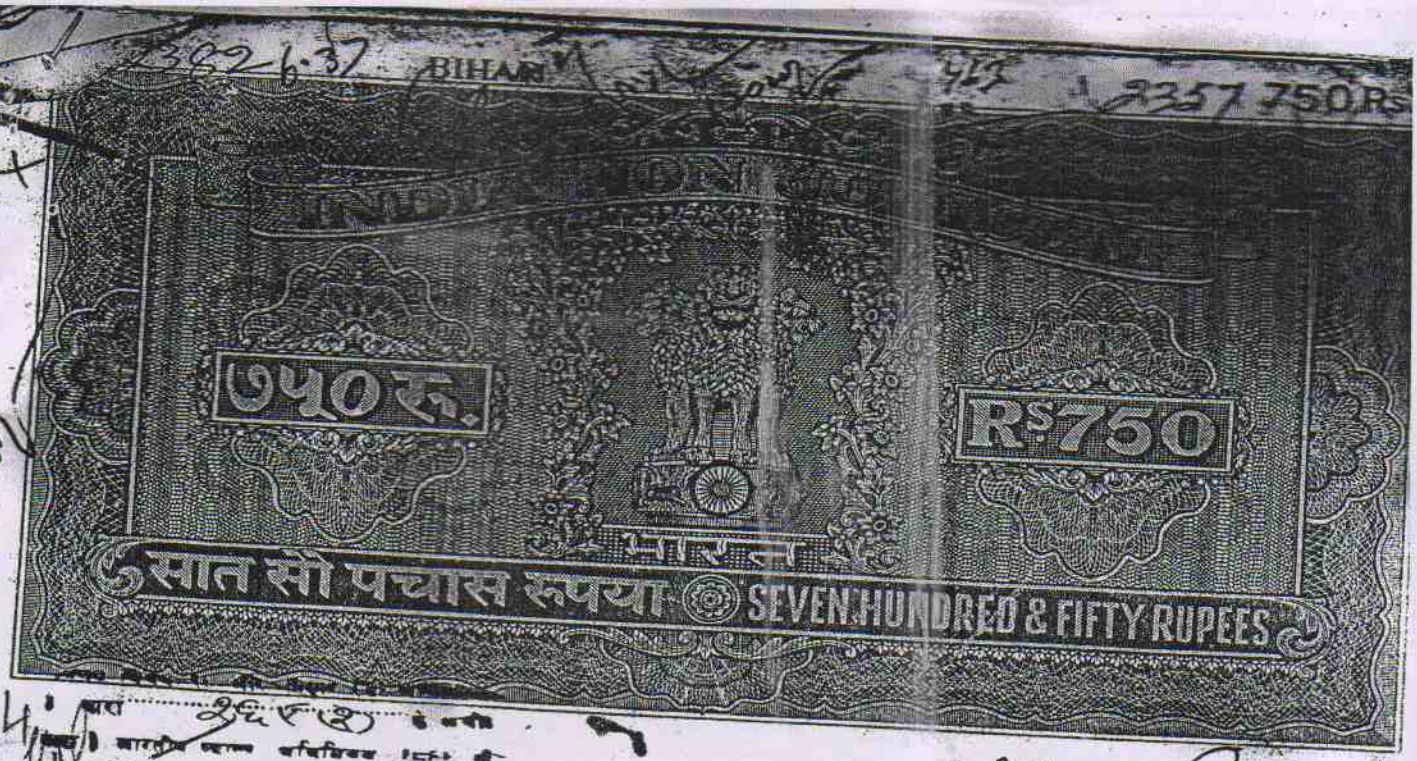
का उनके पत्र संख्या दिनांक 30.5.17 के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।

निबंधन पदाधिकारी,

दानापुर

1-6-17

SPL-469/99-2,00,000


BIHAR
INDIA
७५० रु.
Rs 750
सात सो पचास रुपया
SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

पटना कोषागार, पटना

मूल्य ₹800/-

नाम श्री राम सेवक सिंह

पिता/पति श्री [illegible]

ग्राम अमौली

डाकघर दानापुर

जिला पटना

हस्ताक्षर [illegible]

हस्ताक्षरकर्ता [illegible]

पिता/पति श्री [illegible]

पहचान [illegible] पिता [illegible] ग्राम [illegible]

[illegible] 30 [illegible]

[illegible]

[illegible]

राम दरीक्षा सिंह

पुत्र स्व निवासी ग्राम

पो [illegible]

परथु [illegible] सिंह

आज रामदरीक्षा सिंह को [illegible]
लिखा पढ़ी [illegible] ₹800=00
([illegible]) मात्र. गये [illegible]

[illegible]

12 VIII 41

सही- रामदरीक्षा सिंह नो. 5000 नब्बे हजार रुपया
इजलास पर हाजीर बैसाखी खरीदार से पास्ता
दस्त-5-22

[illegible]

[illegible]


200Rs.
INDIA NON JUDICIAL
२०० रु.
Rs 200
सत्यमेव जयते
भारत
दो सौ रूपये TWO HUNDRED RUPEES

पटना कलेक्टरेट, पटना

कूट ...

नाम श्री रामसनेही सिंह

पिता/पति ...

ग्राम —

थाना —

जिला —



12/11/1989

सः- तालचक्र-कोट

दः- 24-4-89

~~सही राम सनेही सिंह~~ मोक्तिलिंग वकालगी

उपरोक्त हस्ताक्षर मेरे समक्ष मेरे सामने

मेरा रोल कोड नं ...

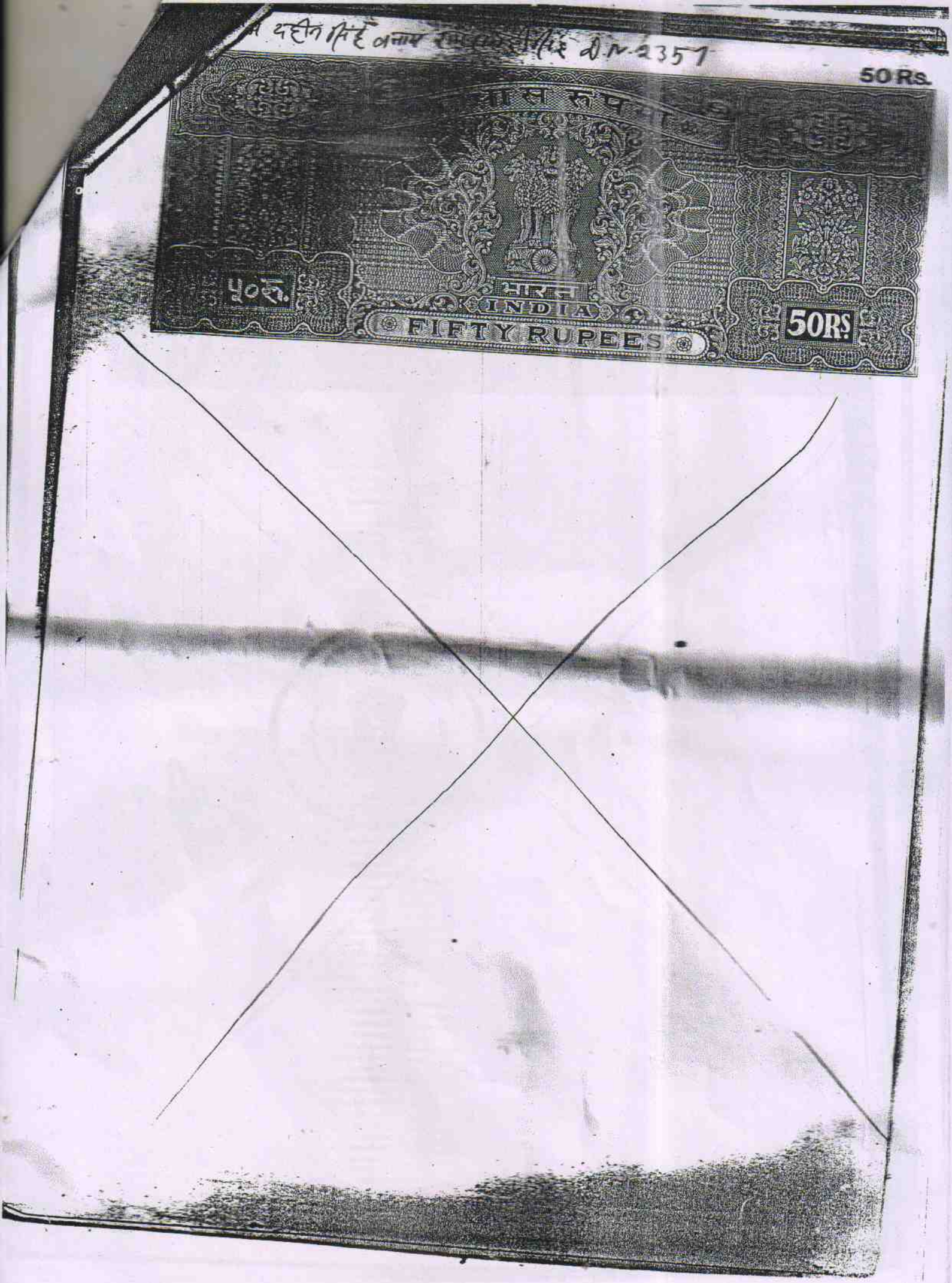
दि० 24/4/89







इस बारे अधिक जानकारी के लिए समाचार
देखें 12-4-22
आवश्यकता है


50 Rs.
भारत
INDIA
FIFTY RUPEES
50RS

उ.क.द.१ ता. २८ दे.

राम सनेही पुत्र सा. बतरौली थाना दानपुर

कागज मूल्य १०१ रुपया तीन पेज वास्ते ना

के बेचान

५०+५०+१=१०१

जवाहर खाँ

दानपुर

50 Rs.



30 Rs.

सम्पत्तिदानपत्रं
२५-५-८१

[illegible]

[illegible]



मैं मशीन (गवाह) का बयान लिखते के बाद
(राघवेन्द्र शर्मा)
करते बताता हूँ कि दावा हो साहब
दाम है वसूलने पेश की मशीन आसाई
(वाले) दो के साथ के दावा वकील कमाई
लिखा हो के पत्र हो बताने मजदूरी सही
5000) की हजार लिखो सब राशि साहब
दावा के मालूम हम साथ पर बताने
मजदूरी के वसूल पाकेट साधारण सही
3000) कि हजार लिखो. वापस नवाब
वकील (वादी) मजदूरी के वसूल पाकेट
अपने दस्त हो सहित मेरे पाकेट
हो (वादी) के रूप आने के साथ
पर दावा हो दावा की आने
मुकदमा दावा-आने के (वादी)
के रूप आने के साथ
हो दावा हो के हो सहित वकील



785



7 Rs



1Re

INDIA

FIVE RUPEES

FIVE RUPEES

5RS

Complaint Case No. 167 of 1987

Complainant Ram Dass Clerk S/o Late Sh. Ram Parkash R/o N.I.T. Faridabad

Versus

1. Executive Engineer, Haryana Roadways Workshop, Faridabad
2. Sub Divisional Officer, Haryana Roadways Workshop, Faridabad

Complaint under Section 15 of the Consumer Protection Act, 1986 as amended upto date.

Dated the 26th day of March 1987

Present: Shri Ram Dass, complainant in person.

Shri Ram Dass complainant has filed this complaint against the opposite parties alleging that he had purchased a Bajaj Chetak Scooter No. HRA 1202 from the opposite parties on 4.9.87 for Rs. 10,250/- and the same was delivered to him on the same day. The complainant has further alleged that the said scooter developed defects in the engine and the same was taken to the opposite parties for repairs on 20-6-87 and the same was returned to the complainant on 20-7-87. The complainant has further alleged that the said scooter developed defects in the engine and the same was taken to the opposite parties for repairs on 20-7-87 and the same was returned to the complainant on 26.3.87. The complainant has further alleged that the said scooter developed defects in the engine and the same was taken to the opposite parties for repairs on 26.3.87 and the same was returned to the complainant on 31.3.87. The complainant has further alleged that the said scooter developed defects in the engine and the same was taken to the opposite parties for repairs on 31.3.87 and the same was returned to the complainant on 31.3.87.

Sd/-